

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 34 / 2023

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राधेश्याम बजाज पुत्र श्री मिल्खराज बजाज –खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक–  
मै० बजाज किरयाना स्टोर, शॉप नम्बर 25-36, सनातन धर्म स्कूल, बड़ा बाजार,  
श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51


निर्णय

दिनांक : 20.03.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.08.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफएसएसए/2020/830 दिनांक 26.10.2020 एवं क्षेत्राधिकार अधिसूचना 11.04.2012 अनुसार प्रकाशित के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.02.2022 को 11.00 ए.एम का मै० बजाज किरयाना स्टोर, शॉप नम्बर 25-36, सनातन धर्म स्कूल, बड़ा बाजार, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता राधेश्याम बजाज पुत्र श्री मिल्खराज बजाज को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे सरसों का तेल (रीवा स्टार ब्राण्ड) के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अन्दर 500-500 मिली 24 बोटलें सरसों का तेल (रीवा स्टार ब्राण्ड) को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। मुझे इसी सरसों का तेल (रीवा स्टार ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते सरसों का तेल (रीवा स्टार ब्राण्ड) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध सरसों का तेल (रीवा स्टार ब्राण्ड) 500 मिली की 4 पैक बोटलों को विक्रेता से कय किया। विक्रेता के मौके पर ही उक्त कयशुदा सरसों का तेल (रीवा स्टार ब्राण्ड) का नगद भुगतान 360/- रुपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। कैशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंगन है।

  
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर




आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे राधेश्याम बजाज पुत्र श्री मिल्खराज बजाज एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक राधेश्याम बजाज पुत्र श्री मिल्खराज बजाज को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सरसों का तेल (रीवा स्टार ब्राण्ड) 500 मिली की चारों पक बोतलों पर लैबल तैयार कर चिपकायें और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-1406 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-1406 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे राधेश्याम बजाज पुत्र श्री मिल्खराज बजाज एवं गवाहान ने भी पढकर,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/336/एक्ट/2022/336 दिनांक 10.03.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1406 Sub-Standard Food & Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त राधेश्याम बजाज पुत्र श्री मिल्खराज बजाज मै0 बजाज किरयाना स्टोर, शॉप नम्बर 25-36, सनातन धर्म स्कूल, बड़ा बाजार, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर सरसों का तेल (रीवा स्टार ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 24.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।

  
अतिरिक्त सहायक (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर



परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:-

1. प्रार्थी राधेश्याम पुत्र श्री मिलखराज बजाज मैसर्स बजाज किरयाना स्टोर, शॉप नम्बर 35-36 सनतान धर्म स्कूल, बड़ा बाजार, श्रीगंगानगर का प्रोपराईटर है।
2. यह कि प्रार्थी के द्वारा सरसों का तेल (रीवा स्टार ब्राण्ड) की 24 बोतलें काकड़िया ट्रेडिंग कम्पनी जो कि प्रार्थी फर्म की दुकान के आगे वाली गली में स्थित है जिससे पहली बार सरसों का तेल (रीवा स्टार ब्राण्ड) की 24 छोटी बोतलें खरीद की गई थी उक्त सरसों के तल की क्वालिटी से प्रार्थी अनभिज्ञ था तथा श्रीमान द्वारा दौराने अनुसंधान प्रार्थी की उक्त फर्म से सरसों का तेल (रीवा स्टार ब्राण्ड) की 4 बोतलें सैम्पल हेतु अपने कब्जा में ली गई तथा दौराने जांच उक्त बोतलों में मिसब्रान्डेड एण्ड सब सटेन्डर्ड फूड पाया गया।
3. प्रार्थी के द्वारा उक्त सरसों के तेल की 24 बोतलें दिनांक 23.02.2023 को खरीद की गई थी तथा श्रीमान जी द्वारा उक्त सरसों की 4 बोतलें सैम्पल लेने के लिये ले गये उसके उपरान्त उसी रोज प्रार्थी के द्वारा काकड़िया ट्रेडिंग कम्पनी से इसका बिल भी मांगा गया था जिस पर कम्पनी प्रोपराईटर द्वारा मना कर दिया गया जिस पर प्रार्थी फर्म के द्वारा उक्त सरसों के तेल की 20 बोतलें काकड़िया ट्रेडिंग कम्पनी को वापिस कर दी इसमें प्रार्थी का किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है तथा प्रार्थी के द्वारा आगे किसी भी कस्टमर को उक्त बोतलें विक्रय नहीं की गई है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से अर्ज है कि प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी को दिया गया नोटिस खारिज किया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया सरसों का तेल (रीवा स्टार ब्राण्ड) का सैम्पल K-1406 जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/336/एक्ट/2022/336 दिनांक 10.03.2022 द्वारा Sub-Standard Food & Misbranded Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा सरसों का तेल (रीवा स्टार ब्राण्ड) की 24 बोतलें काकड़िया ट्रेडिंग कम्पनी जो कि प्रार्थी फर्म की दुकान के आगे वाली गली में स्थित है जिससे पहली बार सरसों का तेल (रीवा स्टार ब्राण्ड) की 24 छोटी बोतलें खरीद की गई थी उक्त सरसों के तल की क्वालिटी से प्रार्थी अनभिज्ञ था तथा श्रीमान द्वारा दौराने अनुसंधान प्रार्थी की उक्त फर्म से सरसों का तेल (रीवा स्टार ब्राण्ड) की 4 बोतलें सैम्पल हेतु अपने कब्जा में ली गई तथा दौराने जांच उक्त बोतलों में मिसब्रान्डेड एण्ड सब सटेन्डर्ड फूड पाया गया। प्रार्थी के द्वारा उक्त सरसों के तेल की 24 बोतलें दिनांक 23.02.2023 को खरीद की गई थी तथा श्रीमान जी द्वारा उक्त सरसों की 4 बोतलें सैम्पल लेने के लिये ले गये उसके उपरान्त उसी रोज प्रार्थी के द्वारा काकड़िया ट्रेडिंग कम्पनी से इसका बिल भी मांगा गया था जिस पर कम्पनी प्रोपराईटर द्वारा मना कर दिया गया

बोतल  
श्रीगंगानगर



जिस पर प्रार्थी फर्म के द्वारा उक्त सरसों के तेल की 20 बौतलें काकड़िया ट्रेडिंग कम्पनी को वापिस कर दी इसमें प्रार्थी का किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है तथा प्रार्थी के द्वारा आगे किसी भी कस्टमर को उक्त बौतलें विक्रय नहीं की गई है। प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी को दिया गया नोटिस खारिज किया जावें।


इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Mustard Oil ( रोवा Star ) " bearing Code No and Sr. No. K-1414 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011. The sample is also Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभिय राधेश्याम बजाज पुत्र श्री मिल्खराज बजाज को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त राधेश्याम बजाज पुत्र श्री मिल्खराज बजाज को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000-00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में राधेश्याम बजाज पुत्र श्री मिल्खराज बजाज खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डा. हरीतिमा)  
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा) श्रीगंगानगर